

कार्यालय का नाम ... 1455 आमगांव (म)



परिशिष्ट - पांच  
(निर्देश क्र. B (1) देखें)

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण - पत्र क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक ... 1775 / बी 121 / वर्ष 2013-12

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.)

### जाति प्रमाण - पत्र (स्थायी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पिता / पति का नाम  
श्री ..... निवासी / ग्राम / नगर ..... प. ह. न. ....  
तहसील ..... जिला दुर्ग संभाग रायपुर छ. ग. के निवासी है जो .....  
जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ शासन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एक-8-5/पच्चीस/4/  
84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमार्ग्य किया गया है।

श्री ..... और / या उनका परिवार समान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग संभाग रायपुर में  
निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....  
क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों के श्रेणी में नहीं आता है जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08-09-93 द्वारा जारी सूची क्रमांक कालम 3 में तथा छत्तीसगढ़  
शासन समान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप. क्रमांक एक-7-26/93/ दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न "ई" की सूची के  
कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
के परिवार की कुल वार्षिक आय .....

दिनांक 06-03-14



अनुविभागीय अधिकारी  
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम  
पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)  
पदनाम